न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
रेफरेन्स संख्या : 09/2017

राजस्थान सरकार — प्रार्थी

बनाम

श्री बृजलाल पुत्र श्री गुमानाराम बिश्नोई निवासी मोडायत हाल ग्राम राणासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अप्रार्थी

उपस्थिति :

1. श्री हरिराम बिश्नोई — वकील अप्रार्थी
2. पैरोकार राजस्थान सरकार

निर्णय

दिनांक :– 18–03–2026

यह रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 10–04–2014 के द्वारा इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15–01–1992 से उपनिवेशन क्षेत्र के लिए रेफरेन्स पेश करने की शक्तियां उपनिवेशन आयुक्त को प्रदान है। हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–03–2005 से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपनिवेशन आयुक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। उपायुक्त उपनिवेशन, उपनिवेशन क्षेत्र के लिए माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने का अधिकार नहीं रखते है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विचार किये बिना राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स लौटाया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी श्री बृजलाल ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष दिनांक 03–08–1985 को वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीए व धारा 125, 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राणासर की रोही के ख0नं0 29 की 29–10 बीघा भूमि संवत 2012 से लगातार कब्जा काश्त में चल रही है। समरी सेटलमेन्ट एवं रेगुलर सेटलमेन्ट के दौरान यह भूमि श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री अहमद खां मुसलमान निवासी शेरूवाला के नाम दर्ज हुई है। सेटलमेन्ट अधिकारी ने भूमि पर कब्जाकाश्त वादी के होने के बावजूद भी प्रतिवादी श्री गुलाम रसूल के नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। सेटलमेन्ट की कार्रवाई सुनवाई का मौका दिये बिना पीठ पीछे की गई जो विधिसम्मत नहीं है। वादी गत वर्षों की भांति भी चालू वर्ष में वर्षा होने पर काश्त करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुलाम रसूल ने रोका तथा कहा कि उक्त भूमि उसके नाम गैर खातेदार टिनेन्ट दर्ज है। वादी जब पटवारी हल्का से मिला तो दिनांक 29–07–1985 को बताया कि विवादित भूमि श्री गुलाम रसूल के नाम दर्ज हैं। इसी तारीख को वादकरण उत्पन्न होने पर दावा पेश किया जा रहा है। कृपया विवादित भूमि का इन्द्राज दुरूस्त करते हुए वादी के नाम गैर खातेदार टिनेन्ट की घोषणा की जाये तथा यह भी घोषणा की जाये कि वह खातेदारी अधिकार पाने का हकदार है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने प्रतिपक्ष से जवाब प्राप्त कर दिनांक 07.04.1986 को अप्रार्थी श्री बृजलाल को विवादित भूमि का गैर खातेदार दर्ज करने

Scanned with OKEN Scanner

हेतु आदेश दिया व इसी आशय की डिक्री दिनांक 16.04.1986 को पारित की। यही निर्णय व डिक्री रेफरेन्स कार्यवाही में है।

वकील अप्रार्थी व राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तथा रेफरेन्स पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने दावे के समर्थन में विवादित भूमि पर संवत 2012 से पूर्व से लगातार कब्जा काश्त अथवा स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये थे, सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 125 एवं 136 के अंतर्गत गुलाम रसूल व सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सगासर तहo कोलायत के विवादित खसरा नम्बर 19 में 29.10 बीघा भूमि सम्वत् 2012 के पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त आराजी वादी/ अप्रार्थी के नाम बतौर गैर–खातेदार टिनेन्ट राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रतिवादी संo 1 गुलाम रसूल के नाम दर्ज कर दी जो दुरस्त कर वादी के नाम की घोषणा की जावे जिस पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा दिनांक 16.04.1986 को वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई व वादी को गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसका रेफरेन्स उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 23.02.1994 को मण्डल में पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 12.09.1995 से प्रकरण पुनः निर्देशों के साथ उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर को किया गया जिसे पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरांत उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अपने निर्णय दिनांक 22.03.2005 से यह रेफेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जो मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 10.04.2014 से उक्त रेफरेन्स को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर उपायुक्त उपनिवेशन, उपनिवेशन क्षेत्र के लिए राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं, प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विचार किये बिना राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स पुनः लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है का आदेश पारित करते हुए इस निर्देश के साथ कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः प्रेषित करने हेतु लौटाया गया जिसे आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की जा रही है, जिसमें तथ्य निम्न प्रकार से है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वादी एवं प्रतिवादीगणों को सुनकर शहादत एवं सबूत लेकर वाद डिक्री किया गया है जिसमें समस्त कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए डिक्री पारित की गई है।
2. यह कि उक्त प्रकरण दो प्राईवेट पक्षकारों के मध्य का विवाद है जिसमें राज्य सरकार का कोई अहित नहीं है। ना ही कोई नुकसान है उक्त विवादित भूमि गुलाम रसूल के नाम सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना मौका जाँच किये दफ्तर में बैठे–बैठे ही गैर खातेदारी में दर्ज कर दी जिसे वादी ने जरिये घोषणात्मक वाद डिक्री प्राप्त की है जो कानून सम्मत है ।

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि उक्त वाद में वादग्रीन भूमि का प्रतिवादी गुलाम रसूल द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्कार करने का कोई कानूनी अधिकार न होने के कारण दावा डिक्री किया गया था जिसे रेफरेन्स के माध्यम से राज्य सरकार मण्डल को प्रेषित नहीं कर सकती क्योंकि किसी भी सक्षम न्यायालय की डिक्री व निर्णयों को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं करवाया जा सकता उक्त निर्णय व डिक्री की अपील ही हो सकती है तो उक्त रेफरेन्स का नोटिस ड्राप फरमाया जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RRT 2017(2) पेज न0 976 स्टेट बनाम नथमल में राजस्व मण्डल अजमेर व राज0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 स्पेशल अपील संख्या 789/2003 शीर्षक रमजानखां बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2007 में यह भी निर्णीत किया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पारित की गई हो, तो रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के माध्यम से डिक्री निरस्त नहीं की जा सकती ।

इसी प्रकार रेफरेन्स देरी से प्रस्तुत करने का संबंध है कि उक्त डिक्री पारित हुए आज 40 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि गैर वाजिब देरी के बाद प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स स्वीकार नहीं किया जा सकता जिस बाबत न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 पेज–170, RRT 2005 पेज–921 ।

इसी प्रकार दो प्राईवेट पक्षकारों के बीच प्रस्तुत विवाद में राज्य सरकार को नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सरकार से कोई रिलीफ न तो ली गई है व ना ही मांगी गई उसमें राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RRC 1998 पेज–485, R.BJ 1996 पेज–481, RRD 2000 पेज–448 में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दो प्राइवेट पक्षकारों के बीच में पारित निर्णय में राज्य सरकार की रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये व प्रतिवादी चाहे तो अपील कर सकता है उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के वारिसों ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के यहां सन् 2014 से अपील कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है इस प्रकार एक ही भूमि की दो अलग–अलग कार्यवाहियां नहीं चल सकती है व कानूनन अपील ही चल सकती है रेफरेन्स एक बैक डोर एन्ट्री होती है। इसिलिए उक्त रेफरेंन्स नोटिस इस कानूनी बिन्दु पर भी निरस्त योग्य है ड्राप फरमायें।

वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों को ध्यान रखते हुए कानूनी आधार पर ड्राप फरमाये व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाये।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं नजीर पर मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त रेफरेन्स सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 07.04.1986 एवं 16.04.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ। विवादित भूमि ग्राम राणासर किरोही के खसरा नं. 29 की 29.10 बीघा भूमि श्री बृजलाल पुत्र गुमानाराम, बिश्नोई निवासी मोडायत हाल ग्राम राणासर, तहसील कोलायत के पक्ष में किये जाने से संबंधित है। उक्त भूमि का पूर्व में समरी सेटलमेंट एवं रेगुलर सेटलमेंट के दौरान यह भूमि श्री गुलाम रसूल पुत्र अहमद खां, मुसलमान, निवासी सेरूवाला के नाम दर्ज हुई थी। उक्त रेफरेन्स दो प्राइवेट पक्षों के बीच में पारित निर्णय से संबंधित है। श्री गुलाम रसूल के देहांत होने के उपरांत उनके वारिसों द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर में अपील श्री दामो पत्नी गुलाम

Scanned with OKEN Scanner

रसूल पुत्र अहमदखां वगैराह जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला बनाम बृजलाल पुत्र श्री गुमानाराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार एक ही भूमि की दो अलग–अलग कार्यवाही नहीं चल सकती। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्राप्त यह रेफरेन्स इस बिंदु पर खारिज किया जाता है। न्यायहित में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को निर्णय की प्रति इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उक्त प्रकरण में नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/3/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner